न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 28/2021

बउनवान

पानाचन्द आयु 53 वर्ष पुत्र श्री मथुरा लाल जाति मेघवाल, निवासी चैनपुरिया, तहसील बारां, जिला–बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 28.09.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 09.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम– चैनपुरिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 583 रकबा 0.20 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100 /–रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल करावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। पत्रावली में बेदखलीनामा एवं पैमाइश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही [illegible] और ना ही कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलान्ट को बेदखली [illegible] एवं विवादित आराजी की पेमाईश रिपोर्ट सलग्न नही है, तथा स्वतन्त्र गवाह भी प्रस्तुत नही किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त प्रार्थी अतिक्रमी होने के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है, एवं अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त करने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 329/2020 निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1196/2020 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested